56

cooperatives for construction of new houses or for improvement of existing ones, to the extent of 80% of the cost of a house, subject to a maximum of Rs. 3,000. Loans are not to be granted to persons who intend to construct houses likely to cost more than Rs. 5,000 per house. The loans with interest are recoverable in easy instalments spread over a period of 20 years. As security for the loan, the borrowers are required to mortgage the land and the house or to give some other form of security acceptable to the State Government. The loan is disbursed in instalments related to the stage of construction. The State Governments are competent to frame detailed rules for implementation of the Scheme.

The Scheme also envisages:-

- (i) 100% Central grant to State Governments for provision of housesites to landless agricultural workers and laying of streets and drains in the selected villages; and
- (ii) technical assistance and guidance to villagers and local authorities in the preparation of layout plans, designs of houses and actual construction of houses, through State Rural Housing Cells. 50% of the cost of pay and allowances of the staff of the Cells is met from Central grants.
- (d) By the State Government;
- (e) The Village Housing Projects Scheme is a State Plan Scheme. The State Governments are competent to frame detailed rules for implementation of the Scheme. They are also responsible for the repayment of the Central loans. The Scheme being in the State Sector, the Central Government are not in a position to impose any compulsion on the States to ensure that all the Central assistance allocated to the latter under the Scheme is utilised for the purposes of the Scheme.

मध्य प्रदेश में निर्माण प्रयोजनों हेतु सहायता

4540. श्री गं० च० दीक्षित: क्या निर्माण, श्रावास तथा पूर्ति मंत्री यह बताने की कृप्य करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के लिए तीन पंचवर्षीय योजनायों की सबधि में तथा 1967-68 ग्रीर 1968-69 में ग्रब तक (1) राज-सहायता प्राप्त श्रीद्योगिक ग्रावास योजना (2) गन्दी बस्ती सफाई योजना (3) चाय बागान मजदूरों संबंधी मकान निर्माण योजना के ग्रन्तर्गत क्रमशः कितनी धन राशि मंजर की गई;

- (ख) उक्त योजनाम्रों पर वास्तव में कितनी धन राशि व्यय की गई है; म्रौर
- (ग) उक्त योजनाम्नों में से प्रत्येक योजनाके म्रन्तर्गत मध्य प्रदेश में म्रब तक कितने मकानों तथा फ्लैटों का निर्माण हो जाना चाहिए था?

निर्माण, ग्रावास तथा पूर्ति मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह): (क) से (ग) वांछित सूचना का विवरण सभा पटल पर रखा गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संक्या LT-2708-/68.]

तीन पंचवर्षीय योजनाम्रों में मध्य प्रदेश को दी गई वित्तीय सहायता

4541. श्री गं० च० दीक्षित: क्या विक्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) पहली, दूसरी तथा तीसरी पंचवर्षीय योजनाश्चों की श्रवधि में क्रमणः कितनी वित्तीय सहायता दी गई श्रौर उनके द्वारा प्रयोग न किये जाने के कारण कितनी धनराणि लौटा दी गई:
- (ख) क्या राज्य सरकार ने गत पांच वर्षों में ग्रधिक धनराशि नियत किये जाने के लिए ग्रन्रोध किया था, ग्रौर
- (ग) यदि हां, तो राज्य सरकार ने कितनी धनराणि के लिए मनुरोध किया था भौर उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

जप-प्रधान मंत्री तथा वित्त मंत्री (भी मोरारजं(वेसाई): (क) एक विवरण सभा की मेज पर रखा दिया गया है [पुस्तकालयमें रखा गया। वेखिए संख्या LT 2709./68] दी गयी सहायता का कोई